



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 677 राँची, मंगलवार,

22 अक्टूबर, 2024 (ई०)

वित्त विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2024

सं० सं०-4/अ०स्था० (04)-09/2024 -2357- /वि०--झारखण्ड अंकेक्षण पदाधिकारी संवर्ग के निम्नलिखित अंकेक्षण पदाधिकारियों, (पुनरीक्षित पे-मैट्रीक्स लेवल-7) को दिनांक-24/09/2024 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में उप लेखा नियंत्रक (पुनरीक्षित पे-मैट्रीक्स लेवल-8) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है जिनका नाम एवं पदनाम निम्नवत् है:-

क्र०सं०	नाम/ पदनाम	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री जितेन्द्र कुमार कौण्डिल्य/ अंकेक्षण पदाधिकारी	प्रमंडलीय कार्यालय, हजारीबाग ।
2	श्री नवीन कुमार/ अंकेक्षण पदाधिकारी	प्रमंडलीय कार्यालय, राँची ।
3	श्री ईश्वर प्रसाद आर्य/ अंकेक्षण पदाधिकारी	प्रमंडलीय कार्यालय, राँची ।
4	श्री अंजारूल हक अंसारी/ अंकेक्षण पदाधिकारी	अंकेक्षण निदेशालय, राँची ।
5	श्री मतलेब अंसारी/अंकेक्षण पदाधिकारी	प्रमंडलीय कार्यालय, राँची ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी को इस शर्त के साथ प्रोन्नति दी जाती है कि वे इस आशय का Undertaking देगे कि प्रोन्नति के पश्चात भी वे अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्य करते रहेंगे। सभी प्रोन्नत पदाधिकारी को वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में ही पदस्थापित किया जाता है।

3. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के प्रावधानों के आलोक में उपर्युक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विजय नारायण,
सरकार के अवर सचिव।
